गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

(नैक द्वारा "A⁺⁺" ग्रेड प्राप्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
कोनी, बिलासपुर–495009 (छ.ग.)
दूरभाष : 07752–260209, फैक्स : 07752–260154
ई–मेल : ggv.registrar@gmail.com, वेबसाईट : www.ggu.ac.in

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

(A Central University with "A++" Grade Accredited by NAAC)
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)
Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154
E-Mail : ggv.registrar@gmail.com, Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक 594/बै.प्र./स्था.स./2025 बिलासपुर, दिनांक : 21.09.2025

प्रति,

समस्त सम्माननीय सदस्यगण
All Hon'ble Members
विद्यापरिषद् की स्थायी समिति,
Standing Committee of Academic Council
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya
बिलासपुर (छ.ग.)
Bilaspur (C.G.)

विषय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 222वीं बैठक दिनांक 21.09.2025 के कार्यवृत्त का प्रेषण।

Subject :- Dispatch of minutes of 222nd meeting of Standing Committee of Academic Council dated 21-09-2025.

–––0–––

महोदय/महोदया,

Sir/Madam

विषयान्तर्गत, दिनांक 21.09.2025 को आयोजित विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 222वीं बैठक का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ एवं अभिलेख हेतु संलग्न प्रेषित है।

Under the subject, the minutes of the 222nd meeting of the Standing Committee of the Academic Council held on 21-09-2025 is enclosed for perusal and record.

आदेशानुसार/By order,

कुलसचिव (कार्यवाहक)/Registrar (Acting)

पृ0 क्रमांक 595/बै.प्र./स्था.स./2025 बिलासपुर, दिनांक : 21.09.2025

प्रतिलिपि/Copy to :–

01. कुलपति के सचिव की ओर माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
The Secretary to the VC for the information of the HVC.
02. कुलसचिव के निज़ सहायक की ओर कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
The PA to the Registrar for inf ormation of the Registrar.
03. निदेशक, आईक्यूएसी/सहायक कुलसचिव–अकादमिक/प्रशासन/विकास/वित्त, प्रभारी विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
Director, IQAC/Assistant Registrar - Academic/Administration/Development/Finance/Incharge University website for information and necessary action.
04. कार्यालय प्रति।
Office Copy.

कुलसचिव (कार्यवाहक)/Registrar (Acting)

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 222वीं बैठक दिनांक 21.09.2025 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 222वीं बैठक दिनांक 21.09.2025 को पूर्वान्ह 11.00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव (कार्यवाहक) ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
3.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
4.	प्रो0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
5.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
6.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
7.	प्रो0 के.के. चंद्रा, प्रभारी अधिष्ठाता–प्राकृतिक संसाधन विद्यापीठ	सदस्य
8.	प्रो0 एच.एस. तिवारी	सदस्य
9.	प्रो0 रामकृष्ण प्रधान	सदस्य
10.	प्रो0 ए.के. ठाकुर, प्रभारी अधिष्ठाता–गणितीय और संगणक विज्ञान विद्यापीठ	सदस्य
11.	प्रो0 सुधांशु रंजन मोहापात्रा	सदस्य
12.	प्रो0 बी.डी. मिश्रा	सदस्य
13.	प्रो0 संतोष कुमार प्रजापति / निदेशक–अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ	सदस्य
14.	डॉ0 एम.एस. धपोला	सदस्य
15.	डॉ0 सुबल दास	सदस्य
16.	डॉ0 गीता मिश्रा	सदस्य
17.	प्रो0 भारती अहिरवार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी–विकास	विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	प्रो0 अमित कुमार सक्सेना, निदेशक, आईक्यूएसी	विशेष आमंत्रित सदस्य
19.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, अधिष्ठाता–छात्र कल्याण	विशेष आमंत्रित सदस्य
20.	डॉ0 सम्पूर्णानन्द झा, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य
21.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी, समन्वयक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020	विशेष आमंत्रित सदस्य
22.	डॉ0 ए.के. शर्मा, ग्रंथपाल	विशेष आमंत्रित सदस्य
23.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, निदेशक, ओडीएल	विशेष आमंत्रित सदस्य
24.	प्रो0 आलोक कुमार सिंह कुशवाहा, निदेशक, एमएमटीटीसी	विशेष आमंत्रित सदस्य
25.	डॉ0 गणेश प्रसाद शुक्ला, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी–भण्डार	विशेष आमंत्रित सदस्य
26.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

1. प्रो0 बुद्धेश्वर प्रसाद सिंघरौल, वित्ताधिकारी
2. प्रो0 आर.के. चौबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, यांत्रिकी

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति महोदय द्वारा प्रेरणादायी उद्बोधन दिया गया तदोपरान्त निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 221वीं बैठक दिनांक 13.09.2025 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 221वीं बैठक दिनांक 13.09.2025 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

Ranadive
21-09-2025

विषय क्र. 02 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 221वीं बैठक दिनांक 13.09.2025 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 221वीं बैठक दिनांक 13.09.2025 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

विषय क्र. 03. **विद्यार्थियों को अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान करने एवं बाहर से आने वाले छात्रों के इंटर्नशिप हेतु तैयार नीति प्रारूपण पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विद्यार्थियों को अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान करने संबंधी प्रस्तावित विनियम का आंशिक संशोधन के साथ अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि आंशिक संशोधनों को शामिल करने के उपरान्त संशोधित प्रारूप पुनः स्थायी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाय एवं विद्यापरिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान किये जाने संबंधी विनियम के प्रचार–प्रसार एवं प्रभावी संचालन हेतु शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए अभिविन्यास (Orientation) कार्यक्रम भी संचालित किया जाय। नोडल अधिकारी इस हेतु यथोचित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

विषय क्र. 04. **एनईपी–2020 आधारित पी.जी. अध्यादेश प्रारूप पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव को स्थगित रखा जाय एवं प्रस्तुत अध्यादेश प्रारूप के सूक्ष्म परीक्षण हेतु अध्यादेश प्रारूप अधिष्ठातागणों को अंतरित कर दिया जाय।

विषय क्र. 05. **विश्वविद्यालय में "प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस" की नियुक्ति के संबंध में विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए जारी यूजीसी दिशा–निर्देशों के पैरा–5 के ए एवं सी वर्ग में आवेदन मंगाये जाने हेतु आवश्यक विज्ञापन जारी किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए जारी यूजीसी दिशा–निर्देशों के पैरा–5 के बी वर्ग में आवेदन मंगाये जाने के लिए नीति/दिशा–निर्देश प्रारूपित किया जाय। नीति/दिशा–निर्देश प्रारूपण हेतु समिति गठित की जाय एवं समिति के सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र .01 **राजनीति विज्ञान विभाग में Adjunct Professor के रूप में सरूप प्रसाद घोष, निर्देशक, माकैयास, कोलकाता की नियुक्ति की नवीनीकरण प्रस्ताव संबंधी बाबत्।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि राजनीति विज्ञान विभाग में Adjunct Professor के रूप में नियुक्त सरूप प्रसाद घोष, निर्देशक, माकैयास, कोलकाता को Adjunct Professor के रूप में नियुक्ति अवधि में एक वर्ष की वृद्धि प्रदान की जाय।

Ranadive 21-09-2025

21/09/2025

अ.अ.वि.क्र .02 प्रबंध अध्ययन विभाग में सहायक संकाय (Adjunct Faculty) की नियुक्ति पर विचार।

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रबंध अध्ययन विभाग से प्राप्त प्रस्तावानुसार प्रो0 बी.के. पुनिया को Adjunct Faculty के रूप में नियुक्ति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की जाय।

अ.अ.वि.क्र .03 गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर में जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने पर विचार।

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर में जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये जाने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

अ.अ.वि.क्र .04 अध्ययन मण्डल, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग से प्राप्त पाठ्यक्रम एवं अनुशंसाओं पर विचार।

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग की बैठक दिनांक 21.08.2025 में अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

अ.अ.वि.क्र .05 विश्वविद्यालय हेतु यू.ट्यूब पर चैनल चलाये जाने एवं उसमें विडियों, रील आदि अपलोड किये जाने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय हेतु यू.ट्यूब पर चैनल चलाये जाने एवं उसमें विडियों, रील आदि अपलोड किये जाने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त यू.ट्यूब चैनल के नियंत्रण का दायित्व पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग का होगा तथा उक्त यू.ट्यूब चैनल में विडियों, रील, लघु फिल्म इत्यादि अपलोड किये जाने की प्रक्रिया निर्धारण हेतु दिश–निर्देशों का प्रारूप तैयार कर स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

Ranadive 21-09-2025
कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव

21/09/2025
कुलपति / अध्यक्ष